



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

23 ग्राम अवैध स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-05.07.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में थाना महोली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अंकित दीक्षित पुत्र रामू दीक्षित नि० दीक्षित टोला थाना महोली सीतापुर को ग्राम बडागांव रोड बाईपास पुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 23 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 313/21 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर चालान मा० न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता- अंकित दीक्षित पुत्र रामू दीक्षित नि० दीक्षित टोला थाना महोली सीतापुर

बरामदगी- 23 ग्राम अवैध स्मैक

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 313/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना महोली सीतापुर।

पुलिस टीम -

1. उ०नि० श्री विजय कुमार मिश्रा
2. का० किशन रावत
3. का० श्रीकृष्ण

थाना कोतवाली-महोली

जनपद-सीतापुर

